न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र. केम्प सागर

~~न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग सागर~~

R 394/II/06

18 JAN 2001

श्रीमति मंजुलता पत्नि अनिल कुमार जैन
श्रीमति मंजुलता पत्नि अनिल कुमार जैन
निवासी ग्राम सिंगपुर तह॰ खुरई जिला सागर
हाल निवासी सागर म.प्र. ।

--- आवेदिका

क्रमांक ________ रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 1/3/06 को प्राप्त

॥ विरूद्ध ॥

रविशंकर वल्द हल्कू चढार निवासी
ग्राम सिंगपुर तहसील खुरई जिला सागर ।

--- अनावेदक

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, सागर सम्भाग,
सागर (म. प्र.)
श्री .... द्वारा प्रस्तुत ।

प्र.क्र.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959
=====================================

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर
सागर द्वारा प्र.क्र. 58अ/19(1)/99-2000 में पारित आदेश दिनांक
14-11-2000 के विरूद्ध की गई है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-
=================

यह कि, आवेदिका के भूमिस्वामी हक्क की भूमि
खसरा नंबर 122/3 जिसका नया नंबर 173 हो गया है, की भूमिस्वामि
आवेदिका है और इस पर केवल एक टपरा आवेदिका का बना
हुआ है इसमें अनावेदक नहीं रहता है अन्य कोई मान या टपरा इस खे
में नहीं बना हुआ है अनुविभागीय अधिकारी ने बिना अनावेदक के
आवेदन के होते हुये अपने मन से स्थल निरीक्षण करके खुली जमीन पर
टपरा बताकर अनावेदक के नाम से पट्टा नाजायज तौर से कर दिया
जाँच या स्थल निरीक्षण बावत आवेदिका को कोई सूचना नहीं दी
गई न ही उसे सुनवाई का अवसर ही दिया गया उक्त भूमि पर
केवल एक ही टपरा था परंतु तीन और टपरे इस खुली जमीन पर
बताकर पट्टे चार लोगों को नाजायज तौर से वितरित कर दिये
मालूम होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने स्थल निरीक्षण भी
[illegible] और मनमाने ढंग से पट्टे दे दिये इसकी अपील जब आवे ...

10 FEB 2006

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(14)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 394–दो/2006 **जिला टीकमगढ़**

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर
08–04–15 सागर कैम्प	आवेदक पक्ष को नियत पेशी दिनांक का भेजा गया नोटिस तामील उपरांत वापिस प्राप्त। आवेदक पक्ष सूचना उपरांत अनुपस्थित। आवेदक पक्ष को तीन बार पुकार लगवाई गई परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । बाद पुकार प्रकरण आवेदकपक्ष की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। **प्रशासकीय सदस्य**	